

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1908
दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

जमुई में विद्युत वितरण अवसंरचना का सुदृढीकरण

1908. श्री अरुण भारती:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत जमुई लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में विद्युत वितरण अवसंरचना को सुदृढ करने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) जमुई के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फीडर पृथक्करण की मौजूदा स्थिति क्या है और इसके पूरा होने की समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या कम वोल्टेज की समस्या के समाधान हेतु चकाई, सोनो और खैरा जैसे क्षेत्रों में नए विद्युत उप-स्टेशन स्थापित करने अथवा मौजूदा उप-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पूरे निर्वाचन क्षेत्र में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत संस्वीकृत वितरण अवसंरचना कार्यों की प्रगति **अनुबंध-I** पर दी गई है।

(ख) : आरडीएसएस के अंतर्गत, भारत सरकार ने मुंगेर, शेखपुरा और जमुई जैसे जिलों सहित उन ग्रामीण क्षेत्रों में फीडर पृथक्करण का सक्रिय रूप से कार्य किया है जहाँ कृषि कार्य भार 30% से अधिक है। फीडर पृथक्करण कार्यों की स्थिति इस प्रकार है:

क्रम सं.	जिले	संस्वीकृत	पृथक्कृत
1	मुंगेर	25	25
2	शेखपुरा	29	25
3	जमुई	27	21
कुल		81	71

संस्वीकृत कार्यों के मार्च 2026 तक पूरा होने की अपेक्षा है।

(ग) : आरडीएसएस के अंतर्गत, कम वोल्टेज की समस्या को कम करने के लिए जमुई जिले के सोनो ब्लॉक के बटिया में एक नया 33/11 केवी 2x10 एमवीए विद्युत उपकेंद्र अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त, जमुई लोकसभा क्षेत्र के तीन जिलों में आरडीएसएस के अंतर्गत निम्नलिखित नए 33/11 केवी 2x10 एमवीए उपकेंद्र भी संस्वीकृत किए गए हैं:

- (i) जमुई जिले में इंडोपे सबस्टेशन
- (ii) मुंगेर जिले में गढ़ीरामपुर (ऋषिकुंड) सबस्टेशन
- (iii) शेखपुरा जिले में मटोखर सबस्टेशन
- (iv) शेखपुरा जिले में गंगटी सबस्टेशन

(घ) : भारत सरकार ने जमुई निर्वाचन क्षेत्र सहित देश में वितरण अवसंरचना में सुधार और एटीएंडसी हानियों को कम करने के लिए कई सुधार उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं:

- i. विद्युत (द्वितीय संशोधन) नियम, 2023 राज्य सरकारों द्वारा घोषित सब्सिडी का समय पर समाधान और भुगतान अनिवार्य करता है।
- ii. यह सुनिश्चित करना कि टैरिफ और ड्र-अप आदेश समय पर जारी किए जाएं।
- iii. मशीन आधारित आंकड़ों के आधार पर उचित ऊर्जा लेखांकन और लेखा परीक्षा अनिवार्य करना।
- iv. विद्युत क्षेत्र सुधारों से जुड़ी राज्य सरकारों को जीएसडीपी के 0.5% के बराबर अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति देना।
- v. डिस्कॉम के कार्य प्रदर्शन में सुधार और जवाबदेही के लिए तंत्र को सक्षम बनाने हेतु कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देश।
- vi. आरडीएसएस भी ऐसी ही एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य एटीएंडसी हानि को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15% तक कम करना और एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य करना है। इस स्कीम के अंतर्गत 2.82 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को संस्वीकृत किया है। इनमें 1.51 लाख करोड़ रुपये के वितरण अवसंरचना के कार्य शामिल हैं, जिसमें अनावृत कंडक्टरों को ढके हुए कंडक्टरों से बदलना, लो टेंशन एरियल बंडल (एलटी एबी) केबल बिछाना और वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी)/सब-स्टेशनों का उन्नयन/संवर्धन आदि शामिल हैं। इस स्कीम के अंतर्गत जारी धनराशि के विभिन्न वित्तीय मापदंडों को वितरण यूटिलिटी के कार्य निष्पादन से जोड़ा गया है इनमें समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां और एसीएस-एआरआर अंतर प्रमुख हैं। इन कार्यों के निष्पादन से विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने में भी सहायता मिलेगी। प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग आरडीएसएस के अंतर्गत परिकल्पित महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों में से एक भी है, जो एटीएंडसी हानियों में सुधार करने में सहायता करेगा।

केंद्र और राज्यों द्वारा किए गए ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, अखिल भारतीय स्तर पर एटीएंडसी हानियां वित्त वर्ष 2021 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 16.12% हो गयी हैं।

दिनांक 24.07.2025 तक जमुई निर्वाचन क्षेत्र (जिले: मुंगेर, शेखपुरा और जमुई) में आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत वितरण अवसंरचना के कार्यों का विवरण								
क्रम सं.	विवरण	यूओएम	मुंगेर		शेखपुरा		जमुई	
			संस्वीकृत मात्रा	उपलब्धि	संस्वीकृत मात्रा	उपलब्धि	संस्वीकृत मात्रा	उपलब्धि
स्मार्ट मीटरिंग कार्य								
1	उपभोक्ता मीटर	संख्या	55287	31280	21205	13329	24869	18382
2	फीडर मीटर	संख्या	109	106	57	71	96	103
3	डीटी मीटर	संख्या	3848	2779	1996	949	4166	3242
वितरण अवसंरचना कार्य								
4	नया विद्युत सबस्टेशन	संख्या	1	0	2	0	2	0
	(2 x 10 एमवीए)							
5	33 केवी एचटी लाइन	सीकेएम	15.5	0	14	0	45	0
6	11 केवी एचटी लाइन	सीकेएम	629.77	450.09	668.91	463.11	789.28	626.1
7	एलटी लाइन	सीकेएम	1246.91	1164.39	1041.27	965.32	1436.21	1426.36
8	वितरण ट्रांसफार्मर	संख्या	811	946	924	840	1265	1184
9	फीडर पृथक्करण	संख्या	25	25	29	25	27	21
10	अतिरिक्त घर	संख्या	206	0	0	0	1182	0
